श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 24.05.2016 को जमालपुर नगर परिषद में स्थल निरीक्षण एवं मुंगेर प्रमण्डल के सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद/कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल पर्षद एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता के साथ मुंगेर में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 24.05.2016 को पूर्वा० 08:00 बजे जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में विभागीय योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में जमालपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. मलीन बस्ती विकास योजना के तहत वार्ड संख्या–36, लक्ष्मणपुर स्लम का निरीक्षण किया गया। स्लम क्षेत्र में निर्मित सड़क, नाली, शौचालय एवं रोशनी की व्यवस्था हेतु अधिष्ठापित सोलर लाईटों का स्थल निरीक्षण किया गया। उपस्थित स्थानीय नागरिकों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। इसी स्लम क्षेत्र में 14वाँ वित्त आयोग की निधि से निर्मित सड़क, जो लगभग 800 (आठ सौ) फीट लम्बी है, का भी निरीक्षण किया गया।

3. मलीन बस्ती विकास योजनान्तर्गत वार्ड संख्या–24, वलीपुर स्लम में निरीक्षण के दौरान निर्मित सड़के, नालियों, संकीर्ण गलियों में Paver Block ईंट सोलिंग, प्रकाश व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस वार्ड में निर्मित एक कुआँ के चारों तरफ Paver Block सोलिंग कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि गलियों में मिट्टी को अच्छी तरह से दबाकर, आवश्यकतानुसार बालू का इस्तेमाल करते हुए, Paver Block ईंट सोलिंग करायी जाय।

4. बरसात से पूर्व सभी बड़े/छोटे नाले की उड़ाही कराने का निर्देश दिया गया ताकि नगर परिषद क्षेत्र में कहीं भी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नही हो। इसका गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

5. भ्रमण के दौरान विभिन्न वार्डों में अधिष्ठापित प्याऊ का निरीक्षण किया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर क्षेत्र में पाईपलाईन जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गयी। निर्देश दिया गया कि यह व्यवस्था की जाय, जिससे सभी नागरिकों को निर्बाध रूप से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

6. मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनान्तर्गत वार्ड संख्या–34 में निर्माणाधीन सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य गति अत्यंत धीमी प्रतिवेदित हुई। इस संबंध में जिला शहरी विकास

अभिकरण (डूडा), मुंगेर के कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर वार्ता करके गुणवत्तापूर्ण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

7. नगर परिषद जमालपुर हेतु निर्माणाधीन शहरी पाईपलाईन जलापूर्ति योजना, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, मुंगेर के द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, के लिए जलशोधन केन्द्र (WTP) हेतु जमीन बियाडा से लीज पर प्राप्त है, का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस संबंध में नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, जमालपुर से विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी। नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस हेतु 41.25 करोड़ रूपये की राशि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर को वित्तीय वर्ष 2014–15 में ही उपलब्ध करा दी गयी है। निर्माण कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि PWD, रेलवे एवं नेशनल हाईवे से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हो पायी है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मुंगेर से दूरभाष पर वार्त्ता करके अतिशीघ्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

8. स्थल निरीक्षण के उपरांत मुंगेर में मुंगेर प्रमंडल के सभी नगर निकायों के साथ समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मुंगेर प्रमण्डल के सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधक, बिहार राज्य जल पर्षद के क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री के 3 निश्चय की विशेष तौर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

(i) **<u>हर घर जल–नल</u>** :–

(क) निर्देश दिया गया कि सभी नगर निकाय, जलकल योजनाओं से संबंधित प्राक्कलनों का SOR नहीं रहने की स्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा स्वीकृत SOR पर विधिवत तरीके से कार्य योजना ली जाय।

(ख) बरबीघा नगर पंचायत की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर निकाय द्वारा पाईप जलापूर्ति कनेक्शन से संबंधित प्रतिवेदन में जानकारी अपूर्ण है। निर्देश दिया गया कि जलापूर्ति कनेक्शन आच्छादित परिवारों की सूचना एवं नये कनेक्शन हेतु परिवारों की संख्या का विस्तृत प्रतिवेदन अवलोकन हेतु एक सप्ताह के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाय।

(ग) बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा बनाये जा रहे नगर निकायों के जलापूर्ति का डी०पी०आर० का निर्माण एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से कर लिया जाय।

(घ) नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त से समन्वय करके, लोक स्वास्थ्य

अभियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं के साथ अपने निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति, पियाऊ एवं अतिरिक्त जलापूर्ति कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ड़) हवेली खड़गपुर नगर पंचायत की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निकाय क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल द्वारा एक वाटर टैंक का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अत्यंत धीमा है। इसके निर्माण में विलंब होने से जलापूर्ति योजना बाधित है। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को शीघ्र भेजी जाय ताकि विभाग स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(च) लखीसराय नगर परिषद की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि Ground water reservoir द्वारा जलापूर्ति, सोलर प्लेट से संचालित मोटर के द्वारा किया जा रहा है। बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंता को निर्देश दिया गया कि इस योजना की Feasibility एवं Long term usage से संबंधित study report शीघ्र नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रेषित की जाय।

(ii) **<u>हर घर शौचालय</u>** :-

(क) मुंगेर प्रमंडल के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी लाभार्थियों को माह मई, 2016 तक अनिवार्य रूप से पहली किस्त की राशि उपलब्ध करा दी जाय। वर्ष 2016-17 के लक्ष्य का 100 प्रतिशत ऑनलाईन प्रविष्टि माह जून, 2016 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाय एवं कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि का भुगतान जून, 2016 तक अनिवार्यतः करना सुनिश्चित किया जाय।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत Community toilet एवं Public toilet की निकायवार समीक्षा की गयी। निर्देश दिया गया कि इसके निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जाय। भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में बहुमंजिले Community toilet का विधिवत तरीके से निर्माण कराया जाय।

(iii) **<u>हर घर तक पक्की नाली-गली योजना</u>** :-

नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि योजना के कार्यान्वयन यथा प्राक्कलन आदि बनाने हेतु अभियंताओं की कमी है। निर्देश दिया गया कि इस हेतु प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी से समन्वय करके अथवा किसी अन्य संस्थान से प्राक्कलन तैयार कराया जाय। हर घर तक पक्की नाली-गली योजना माननीय मुख्यमंत्री के निश्चय में शामिल है। अतः इसका कार्यान्वयन गंभीरता से करना सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।

(iv) **<u>सबके लिए आवास (शहरी) योजना</u>** :–

(क) सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस योजनांतर्गत छूटे हुए पात्र परिवारों की सूची स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को पुनः भेजी जाय।

(ख) यह भी निर्देश दिया गया कि लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने से पूर्व, उनके जमीन के दस्तावेज आदि की जाँच अनिवार्य रूप से करा ली जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/5/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3332 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 26/5/16

प्रतिलिपि :– मुख्य पार्षद/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर एवं बेगूसराय/मुख्य पार्षद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमालपुर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया एवं बीहट/मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर, बड़हिया, झाझा, बरबीघा, गोगरी जमालपुर, बखरी, तेघड़ा एवं बलिया/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया एवं बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3332 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 26/5/16

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/उप निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/5/2016

प्रधान सचिव